न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 14 / 2022 (डूंगरपुर डिक्री)

1. कानजी पिता केहरा हडात मीणा, निवासी मैताली पटवार हल्का मेताली, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
2. लक्ष्मण पिता केहरा हडात मीणा, निवासी मैताली पटवार हल्का मेताली, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
3. कावा पिता केहरा हडात मीणा, निवासी मैताली पटवार हल्का मेताली, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
4. मणीलाल पिता केहरा हडात मीणा, निवासी मैताली पटवार हल्का मेताली, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
5. नानुराम पिता केहरा हडात मीणा, निवासी मैताली पटवार हल्का मेताली, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
6. मगला पिता केहरा हडात मीणा, निवासी मैताली पटवार हल्का मेताली, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
7. श्रीमती फुली पत्नि धनराज मीणा, निवासी मालमाथा, पंचायत समिति बिछीवाडा पुत्री केहरा हडात मीणा, निवासी खेरवाडा, पटवार हल्का मैताली, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
8. श्रीमती नानी पत्नि देवा मीणा, निवासी सांसरपुर (पाडली) तहसील सीमलवाड़ा पुत्री केहरा हडात मीणा, निवासी खेरवाडा, पटवार हल्का मैताली, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
9. श्रीमती चम्पा पुत्री केहरा हडात मीणा, निवासी मेताली, पटवार हल्का म मैताली, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती हिरकी पत्नि हिरकी मीणा कोटेड, निवासी हाल आम्बीया फला कण्डूला, तहसील एवं जिला डूंगरपुर पुत्री नानीया पिता ओमेदा मीणा, खेरवाडा, पटवार हल्का मैताली, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती हिरकी पत्नि मानिया चरपोटा मीणा, निवासी 102, करियाता लीमखेडा, जिला दाहोद (गुजरात) पुत्री नानीया पिता ओमेदा मीणा, खेरवाडा, पटवार हल्का मैताली, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
3. प्रभू पिता नानीया पिता ओमेदा मीणा, खेरवाडा, पटवार हल्का मैताली, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:50 IST
Reason: SelfAttested

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का॰अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर दिनांक
29.12.2017 प्रकरण सं0 17/2013

---/---

उपस्थित :– 1– श्री शैलेष भण्डारी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री नवीनचन्द पंडया अभिभाषक रे.सं. 1 व 2

---::---

निर्णय दिनांक 19–11–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट 1 व 2 ने एक वाद बाबत् घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, नामान्तरकरण निरस्त करने, भूमि का कब्जा सिपुर्द कराने, राजस्व रेकार्ड में शुद्धि एवं विक्रय पत्र शून्य एवं बेअसर घोषित करने का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई बहन हैं। इनके दो सगे भाई सोमा व झोमा थे, जिनका लाऔलाद निधन कई वर्षो पूर्व हो चुका है। वादीगण के मूल पुरूष ओमदा जी के एक पुत्र नानिया हुआ, जिसके वारिस वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 हैं। नानिया के खातेदारी स्वामित्व के खाता संख्या 77 के कुल खेत 5 रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा भूमि नानिया की मृत्यु पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों के मिलकर नानिया के केवल 3 वारिस सोमला, झोमला व प्रभू बताकर नामान्तकरण खुलवा लिया, जो त्रुटि पूर्ण है, क्योंकि वादीगण भी नानिया की पुत्रियां हैं। कालान्तर में सोमला व झोमला लाऔलाद फोत हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 ने नामान्तरकरण अकेले के नाम खुलवा लिया, जबकि वादीगण के नाम भी नामान्तकरण स्वीकृति होना चाहिए था। प्रतिवादी संख्या 1 ने खाता नंबर 148/212 के खसरा नंबर 87 रकबा 27 बीघा 4 बिस्वा का विक्रय दिनांक 16–05–1978 को प्रतिवादी संख्या 2 से 10 के पिता केहरा पिता सेंगा भील को कर दिया, जिनकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को नहीं दी तथा केहरा की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 2 से 10 के नाम स्वीकृत हो गया। इस प्रकार नानिया की मृत्यु पश्चात् खोला गया नामान्तरकरण संख्या 3, सोमला व झोमला की मृत्यु पश्चात् खोला गया नामान्तरकरण संख्या 234, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 10 के पिता केहरा के पक्ष में किये गये विक्रय के पश्चात् खोला गया नामान्तरकरण संख्या 406 एवं केहरा की मृत्यु होने पर विरासत के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:50 IST
Reason: SelfAttested

पर खोला गया नामान्तरकरण संख्या 791 सभी वादीगण के मुकाबले शून्य व बेअसर होकर निरस्त योग्य हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर उक्त सभी नामान्तरकरण क्रमशः 3, 234, 406, 791 एवं विक्रय पत्र दिनांक 16–05–1978 निरस्त किये जाकर वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 6 तनकियां कायम की गयी तथा अपने निर्णय दिनांक 29–12–2017 से वादीगण का वाद स्वीकार कर खाता संख्या 148 के कुल खेत 5 रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 से 10 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–09–2022 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता नवीन चन्द पंडया उपस्थित हुए एवं उनकी ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलान्टगण ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था, जिन्होंने जरूरत होने पर सूचना दने के लिए कहा था, लेकिन उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी। तत्पश्चात् कोरोना काल आ जाने से अपीलान्टगण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सके। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2002 (4) ALL MR 249 : 2002 (1) CLR 323 : 2002 (4) S.C.T. 609 : 2002 AIR (Supreme Court) 2545 : 2002 (9) SCC 644 : 2001 (10) JT 433 : 2002 LIC 2475 : 2002 (1) LLJ 454 : 2002 Air Kar R 1920 : 2002 (1) RSJ 218, 2002 SCC (L&S) 1093 : 2002 (92) FLR 400 : 2002 (2) LLN 16 : 2002 AIR (SCW) 2777, 2023 (2) RRT Page 1115, 2015 (2) RRT Page 1221, 2012 (1) RRT Page 431 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्टगण को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी होते हुए भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:50 IST
Reason: SelfAttested

जानबूझकर अपील करीब 5 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की है। कोरोना के कारण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं होने का कथन अपीलान्टगण ने किया है, किन्तु कोरोना तो जनवरी 2020 में आया, जबकि निर्णय वर्ष 2017 का है, इतने समय तक इन्होंने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क क्यों नहीं किया, इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29–12–2017 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–09–2022 को प्रस्तुत की है, जबकि अपील की समयावधि 60 दिवस होकर दिनांक 28–02–2018 तक प्रस्तुत हो जानी थी। अर्थात अपील करीब 4½ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत हुई है एवं इसके लिए कारण अपने अधिवक्ता द्वारा जानकारी नहीं देना एवं कोरोना काल होना बताया है, हालांकि कि अधिवक्ता की गलती सजा अपीलान्ट को नहीं दी जा सकती, किन्तु इतने वर्षो तक उन्होंने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क क्यों नहीं किया, इसका कोई कारण उन्होंने नहीं बताया है। जहां तक कोरोना काल का प्रश्न है, तो वर्ष 2019 में कोरोना महामारी आयी थी, जबकि निर्णय वर्ष 2017 का है। देरी के लिए अपीलान्ट ने जो कारण बताये हैं वह उचित एवं पर्याप्त कारण होना प्रकट नहीं होते हैं। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में स्पष्ट अंकित किया है कि उनके पिता केहरा द्वारा वर्ष 1978 में भूमि रजिस्टर्ड विक्रय से क्रय की गयी है एवं 35 वर्षो से प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहे हैं तथा वादीगण शादी शुदा होकर अपने ससुराल में निवासरत हैं तथा उनका कभी भी कब्जा नहीं रहा। वादीगण ने 35 वर्षो बाद दावा किया है, जो मयाद बाहर है तथा वादीगण जाति से मीणा होने से इन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। वादीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं नामान्तरकरणों को निरस्त कराने की दाद चाही है, जिसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है एवं वादीगण का वाद स्वीकार करने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री निरस्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2012 (1) RRT Page 431, 2015 (2) RRT Page 1221 प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण में यह स्वीकृति स्थिति है कि विवादित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैत्रृक भूमि होकर वादी संख्या 1 हिरकी, वादी संख्या 2 कंकू तथा प्रतिवादी संख्या 1 प्रभू नानिया के पुत्र व पुत्रियां हैं। ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार विवादित आराजियात में प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा बनता है। प्रभू ने उक्त समस्त आराजियात का विक्रय अपीलान्टगण के पिता केहरा को किया है, जबकि उसका विवादित आराजियात में 1/3 हिस्सा ही बनता है, इससे अधिक भूमि का विक्रय करने का अधिकार प्रभू को नहीं था। जहां तक वाद 35 वर्ष वाद प्रस्तुत करने का प्रश्न है, तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारी घोषणा की कोई मियाद नहीं होती है। अपीलान्ट का यह कथन की वादीगण जाति से मीणा होने से उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है, किन्तु इस बाबत् उनके द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकीवार विवेचन करते हुए वादीगण का पैत्रृक भूमि में हक हिस्सा मानते हुए उन्हें सहखातेदार घोषित किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी वह इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 29–12–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 19–11–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:50 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** .....

कानजी पिता केहरा हडात मीणा, नि. मैताली, पटवार हल्का मेताली, तह0 व जिला डूंगरपुर व अन्य बनाम **श्रीमती हिरकी पत्नि कमला मीणा कोटेड पुत्री नानीया ओमेदा मीणा, निवासी हाल आम्बीया फला कण्डूला तहसील व जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं.....**14 / 2022**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**डूंगरपुर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**29**.....माह.....**12**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**19**....माह.....**11**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री शैलेष भण्डारी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री नवीन चन्द पण्डया**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 29–12–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**19**.....माह.....**11**.....**2024** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:50 IST
Reason: SelfAttested